[30/7/2025]

प्रश्न सं. [क्र. 851]

न्यायालय तहसीलदार तहसील नागदा जिला उज्जैन मध्यप्रदेश

राजस्व प्र. क्र. 35/अ–68/2022–23

मध्य प्रदेश शासन – आवेदक

विरूद्व

ग्रेसिम इंडस्ट्रीज बिरलाग्राम नागदा – अनावेदक

आदेश अंतर्गत मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 धारा 248

आदेश दिनांक – 19/02/2025

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि राजस्व निरीक्षक नागदा, पटवारी ग्राम पाड़ल्याकला, पटवारी ग्राम नागदा के संयुक्त दल द्वारा सीमांकन एवं जॉच पश्चात प्रतिवेदन प्रस्तुत कर उल्लेख किया कि ग्राम मेहतवास स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 382/2 रकबा 0.512 है मद शासकीय कदीम एवं सर्वे नंबर 382/3 रकबा 0.502 हे मद शासकीय शासकीय कदीम के संबंध ग्रेसिम के लाईजनिंग आफिसर की उपस्थिति में सीमांकन एवं मौका जांच की गई। मौके पर सर्वे नंबर 382/2 एवं 382/3 में से रकबा 0.400 हेक्टर खुली भूमि जिस पर रॉ मटेरियल (तारकोल)रखकर एवं कुछ भाग पर पतरे का शेड बनाकर एवं बाउण्ड्री बनाकर बनाकर अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमण रिपोर्ट के साथ पंचनामा, नक्शा लालस्याही से अतिक्रमण अंकित कर एवं खसरा नकल वर्ष 22–23 की प्रति के साथ प्रस्तुत किया जो प्रकरण के संलग्न है।

प्रकरण शीर्ष अ–68 मे पंजीबद्व किया गया तथा अनावेदक प्रबंधक, ग्रेसिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड नागदा को सूचना पत्र जारी किया गया। प्रकरण में अनावेदक कपंनी की ओर से श्री मुकेश सुराणा अभिभाषक उपस्थित हुए। प्रकरण में अनावेदक की ओर से जवाब हेतु समय चाहा गया। प्रकरण में अनावेदक के द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया एवं मध्य प्रदेष भू राजस्व संहिता की धारा 248 के तहत प्रस्तुत सूचना पत्र निरस्त करने का निवेदन किया गया। प्रकरण दस्तावेजो के आधार पर पुष्ट होने से साक्ष्य का अवसर समाप्त किया जाकर दिनांक 04.04.2023 को आदेशार्थ नियत किया गया। अनावेदक के द्वारा आदेशिका दिनांक 04.04.23 की निगरानी न्यायालय अपर कलेक्टर महोदय, उज्जैन के समक्ष प्ररतुत की गयी। निगरानी प्रकरण में सुनवाई उपरांत अपर कलेक्टर महोदय के द्वारा आदेश दिनांक 08.08.23 से प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि अनावेदक को मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण में पटवारी व अन्य साक्षियों के कथन अंकित कर उन पर प्रतिपरीक्षण का अवसर प्रदान किया जावें व पूर्व मे इस संबंध में अपील प्रकरण क्रमांक 83/अपील/80–81 में पारित आदेश दिनांक 11–02–1988 को विचार में लेते हुए नियमानुसार गुण दोषो पर प्रकरण का निराकरण किया जाए।

प्रकरण अपर कलेक्टर महोदय, उज्जैन से प्राप्त होने पर पुनः सुनवाई हेतु लिया गया। अनावेदक की ओर से अभिभाषक श्री मुकेष सुराणा उपस्थित हुए। अनावेदक के द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में विकय पत्र कमांक 146, 147 दिनांक 31.01.1962 की प्रति माननीय अपर आयुक्त महोदय के न्यायालय के अपील प्रकरण कमांक 20/1983–84 में पारित आदेश दिनांक 11.02.1988 की प्रति, ग्रेसिम उद्योग के नाम परिवर्तन संबंधि दस्तावेज की प्रति आदि प्रकरण में प्रस्तुत किए गए। प्रकरण में सीमांकन एवं जॉच दल में सम्मिलित पटवारी अमित पालीवाल, राजस्व निरीक्षक रतनलाल डामोर, राजस्व निरीक्षक गजेन्द्रसिंह सेंगर, पटवारी संजय पाटीदार, पटवारी अनिल शर्मा के मुख्य

सत्यापित प्रतिलिपि
हेड कापिस्ट
तहसील कार्यालय, नागदा

तहसीलदार
नागदा

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

किए गए जिनका प्रतिपरीक्षण अनावेदक अभिभाषक द्वारा किया गया। प्रतिपरीक्षण में साक्षियो के द्वारा वर्तमान अभिलेख में भूमि देवस्थान की होना और भूमि के सीमांकन एवं जांच मे अनावेदक कंपनी का अवैध कब्जा पाया जाना उल्लेखित किया गया है।

प्रकरण में अनावेदक के द्वारा आवेदन पत्र अंतर्गत मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 धारा 32 पेश कर प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में सिविल न्यायालय मे प्रकरण प्रचलित होना उल्लेखित करते हुए प्रस्तुत प्रकरण स्थगीत किये जाने हेतु निवेदन किया गया। किंतु व्यवहार न्यायालय से अनावेदक कंपनी के पक्ष में कोई आदेश पारित नही किया जाकर आवेदन निरस्त किया गया। अनावेदक कंपनी की ओर से अधिकृत श्री गिरीश पिता एस.एस.सक्सेना एवं श्री अब्दुल हाफीज अंसारी के शपथपत्र प्रस्तुत किये गये। साक्ष्य समाप्ति उपरांत प्रकरण में अनावेदक पक्ष की ओर से लिखित तर्क प्रस्तुत किये गये बाद प्रकरण आदेशार्थ नियत किया गया ।

मेरे द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों का अवलोकन/अध्ययन किया गया। शासकीय अभिलेख अनुसार खसरा नंबर 382/2 रकया 0.512 हे. मद शासकीय कदीम एवं सर्वेनंबर 382/3 रकबा 0.502 हे मद शासकीय कदीम अंकित है। प्रकरण में राजस्व दल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन, पंचनामा, नक्शा टेस एवं मौके पर किये गये सीमांकन के प्रतिवेदन अनुसार राजस्व दल द्वारा मौके पर अनावेदक अतिक्रामक कंपनी की ओर से उपस्थित आदित्य पिता समशेर कुशवाह के समक्ष में शासकीय भूमि का सीमांकन किया गया एवं सीमांकन में अनावेदक कंपनी का अतिक्रमण पाया गया है।

अनावेदक पक्ष की ओर से समस्त कार्यवाहीयों का खण्डन करते हुए मुख्य रूप से अपर आयुक्त महोदय के अपील कमांक 20/83-84 में पारित आदेश दिनांक 11-02-1988 की सत्य प्रतिलिपि एवं विकय पत्र कमांक 146, 147 दिनांक 31.01.1962 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई है। अनावेदक के द्वारा उक्त आदेष के आधार पर अपने जवाब मे प्रष्नाधीन भूमि त्रुटीपूर्ण रूप से अभिलेखों में शासकीय दर्ज होना उल्लेखित करते हुए भूमि पर कंपनी का स्वामित्व होना उल्लेखित किया है। किंतु उक्त आदेष में भी माननीय अपर आयुक्त महोदय के द्वारा अनावेदक कंपनी को भूमिस्वामी नहीं माना गया है। वर्ष 1988 के पश्चात भी विगत लगभग 37 वर्षो से उक्त भूमि अभिलेखों में शासकीय दर्ज है एवं अनावेदक के द्वारा कोई आवेदन पत्र भी दुरूस्ती/नामांतरण करने बाबत प्रस्तुत किया गया हो, ऐसा कोई अभिलेख अनावेदक के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया हैं।

प्रश्नाधीन भूमि राजस्व अभिलेखों अनुसार शासकीय मंदिर भूमि है। अनावेदक के द्वारा प्रकरण में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे प्रश्नाधीन भूमि पर उसका स्वामित्व सिद्ध हो। माननीय व्यवहार न्यायालयों से भी अनावेदक को कोई अनुतोष प्राप्त नहीं हुआ है। मध्य प्रदेष भू राजस्व संहिता की धारा 117 में प्रावधानित है कि, भू अभिलेखों में दर्ज समस्त प्रविंष्टियों के संबंध में यह उपधारणा की जाएगी कि वे सही है जब तक की तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए। उक्त भूमि शासकीय भूमि है एवं राजस्व निरीक्षक एवं पटवारीयों के दल द्वारा अनावेदक कंपनी के प्रतिनिधि की उपस्थिति में सीमांकन पश्चात् अतिकमण पाया जाने से अतिकमण रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर पाता हूँ कि अनावेदक ग्रेसिम इण्डस्ट्रीज लिमिटेड नागदा के द्वारा ग्राम मेहतवास स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 382/2 रकबा 0.512 हे. एवं सर्वे

प्रमाणित प्रतिलिपि

हेड कापिस्ट तहसीलदार

निरंतर (03) पर - - -

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

382/3 रकबा 0.502 हे दोनों की मद शासकीय कदीम में से रकबा 0.400 हेक्टर खुली भूमि पर रॉ मटेरियल (तारकोल) रखकर एवं कुछ भाग पर पतरे का शेड बनाकर एवं बाउण्ड्री बनाकर अतिक्रमण किया गया है। इसलिये म.प्र.भू–राजस्व संहिता की धारा 248 के तहत ग्रेसिम इंडस्टीज लिमिटेड, नागदा पर रूपये 50,000/-- पचास हजार का अर्थदण्ड आरोपित किया जाकर उक्त अतिक्रमित भूमि से अनावेदक अतिक्रामक को बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है। अतिक्रामक 15 दिवस की अवधि में उक्त शासकीय भूमि पर किये गये अवैध अतिक्रमण को हटावे।

प्रकरण बाद पूर्णता समाप्त होकर दाखिल रेकार्ड किया जावें।

तहसीलदार
तहसील नागदा,जिला उज्जैन

सत्यापित प्रतिलिपि
हेड कापिस्ट
तहसील कार्यालय, नागदा

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner